बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय– राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को परिवहन सुविधा के अंतर्गत ईंधन भत्ता देने के संबंध में ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन (सिविल) सं0– 1022/89 ऑल इंडिया सजेज एशोसिएशन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य मामले में दिनांक 21–03–02 एवं 25–11–02 को पारित न्यायादेश में न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को अन्य बातों के अलावा विभिन्न सुविधा /भत्तों को दिनांक 01–11–99 के प्रभाव से दिये जाने का निदेश दिया था । राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तो/सुविधाओं की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या– 6234 दिनांक 30–6–06 एवं इससे संबंधित अधिसूचना/शोर्ष का निर्धारण विभागीय संकल्प सं0–9188 दिनांक 01–09–06 द्वारा किया गया । पुनः विभागीय संकल्प सं0–12844 दिनांक 18–12–06 द्वारा उक्त संकल्प द्वारा दी गयी सुविधा/भत्ता को दिनांक 01–11–99 के प्रभाव से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. शेट्टी आयोग ने परिवहन सुविधा के अंतर्गत राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को जो वाहन पूल कार का उपयोग नहीं करेगें एवं जिनके पास अपनी कार/द्विपहिया वाहन होगा उनको इंधन भत्ता के रूप में क्रमशः 75 लीटर डीजल/पेट्रोल (ए, ए1 शहर के लिए) के लिए 50 ली0 डीजल /पेट्रोल (जिला केन्द्र के लिए) एवं 25 ली0 पेट्रोल या समतुल्य राशि देने की अनुशंसा की है ।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं शेट्टी आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने चुँकी राज्य में ए तथा ए1 शहर अधिसूचित नहीं है, इसलिए जिला केन्द्र में पदस्थापित राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को जिनके पास अपनी कार हो उन्हें क्रमशः 50 ली0 डीजल/पेट्रोल या समतुल्य राशि तथा जिनके पास अपना द्विपहिया वाहन हो उन्हें 25 ली0 पेट्रोल या समतुल्य राशि का भुगतान निम्नांकित शर्तों के साथ करने का निर्णय लिया है :–

(i) यह भत्ता दिनांक 01–11–99 के प्रभाव से देय होगा, लेकिन दिनांक 01–11–99 के बाद न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा वाहन क्रय किये जाने की स्थिति में जिस तिथि को पदाधिकारी द्वारा वाहन क्रय किया जायगा उसी तिथि से यह भत्ता देय होगा ।

(ii) वाहन पूल का उपयोग करने वाले न्यायिक पदाधिकारियों को ईंधन देय नहीं होगा ।

(iii) राज्य न्यायिक सेवा के जिन पदाधिकारियों को ईंधन भत्ता प्राप्त होगा उन्हें वाहन भत्ता देय नहीं होगा ।

iv) न्यायिक सेवा के वैसे पदाधिकारियों को ही ईंधन भत्ता देय होगा जिनके पास अपने नाम से वाहन हो एवं विधिवत् देय होगा जिनके पास अपने नाम से वाहन हो एवं विधिवत रूप से क्रय किये गये हो ।

4. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित विभागों /विभागाध्यक्षों/ महालेखाकार, बिहार, पटना/ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, विधि विभाग/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/वित्त(वै0दा0नि0का0) विभाग, बिहार,पटना को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(आमिर सुबहानी) 26.12.06

सरकार के सचिव

ज्ञापांक—7/प्र1म--1- 402/2000(खंड—II) 13052 /पटना—15,दिनांक 26.12.2006.

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2 उनसे अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय ।

26.12.06

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक—7/प्र1म--1- 402/2000(खंड—II) 13052 /पटना—15,दिनांक 26.12.2006.

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, विधि विभाग/आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग/महानिबंधक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त (वै0दा0नि0का0)विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

26.12.06

सरकार के सचिव ।